

COOPERATIVE CATTLE FEED FACTORY

88, INDUSTRIAL AREA JHOTWARA, JAIPUR

Tel : 0141-2341324-2343549

Fax : 0141-2340182

E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com

TECHNICAL BID(ENVELOPE-A)

FOR

Old Bardana Sale Tender

during the year 2017-18

**Head Office:- Office of the Managing Director,
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd.
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.**

COOPERATIVE CATTLE FEED FACTORY

88-89, INDUSTRIAL AREA, JHOTWARA, JAIPUR (Raj.)

Tel : 0141-2341324-2343549

Fax : 0141-2340182

E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	NIT	01
2	Bid Circular	02
3	Particular of Bidder	03
4	Declaration of bidder	04
5	Term and Condition	05-07

(1)

सहकारी पशु आहार फ़ैक्ट्री

88-89, इण्डस्ट्रियल एरिया, झोटवाडा, जयपुर

Tel : 0141-2341324-2343549

Fax : 0141-2340182

E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com

पुराना बारदाना बिक्री
सामान्य निविदा सूचना संख्या 6701 / 2017-18

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहकारी पशुआहार फ़ैक्ट्री झोटवाडा, जयपुर में पशु आहार के कच्चे माल से खाली होने वाला बारदाना बिक्री हेतु दिनांक 19.05.2017 तक अपरान्हः2.00 बजे तक सामान्य निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण दिनांक 07.04.2017 से राजफ़ैड की वेबसाईट **Rajfed.gov.in** व राज्य सरकार की वेबसाईट **SPPP.rajasthan.gov.in** पर देखे। संशोधन/शुद्धि पत्र भी इसी वेबसाईट पर दिया जावेगा।

महाप्रबन्धक(फ़ैक्ट्री)

सहकारी पशु आहार फैक्ट्री

88-89, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर (राज0)

E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com.

तकनीकी बिड
पुराना बारदाना बिक्री हेतु निविदा आमंत्रित

वर्ष 2017-2018

कार्य का नाम : वर्ष 2017-18 में पशुआहार के कच्चे माल से खाली होने वाला बारदाना बिक्री

नियोक्ता का नाम : प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि0, जयपुर

1. बोली का विस्तृत विवरण :

S.No	Item	Details
1	कार्य की अनुमानित लागत	8.00 लाख रू
2	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	0.50 लाख रू.
3	बोली दस्तावेज शुल्क प्रोसेसिंग फीस	500 रू.
4	कार्यावधि	वित्तीय वर्ष 2017-2018
5	बोली भरने अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 19.05.2017 को अपरान्ह 1.30 बजे
6	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.05.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे
7	तकनीकी बिड खोलने का स्थान	सहकारी पशुआहार फैक्ट्री झोटवाडा जयपुर
8	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.05.2017 को अपरान्ह 2.30 बजे
9	कार्यादेश जारी करने का संभावित अवधि	15 दिवस
10	बोली की वैधता	तकनीकी बिड खोलने के 30 दिवस तक

सहकारी पशुआहार फैक्ट्री

ईकाई:- राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0,

88, औधोगिक क्षेत्र, झोटवाडा, जयपुर-302012

दूरभाष संख्या -0141-2341324, 2343549

न:-0141-2340182

फैक्स

क्रमांक सी/सी/एफ/बारदाना@2017&18

दिनांक

तकनीकी बिड

निविदा प्रपत्र(पुराना बारदाना बिक्री)

1	फर्म का पुरा नाम व पता :-	
2	दूरभाष संख्या , कार्यालय:- निवास:-	
3	विक्रय कर रजिस्ट्रेशन संख्या	
4	आयकर पैन नं.	
5	आर.एस.टी. नम्बर:-	
6	सी.एस.टी.नम्बर:-	
7	अमानत राशि का विवरण	
8	डी.डी.संख्या, मय राशि व दिनांक	

निविदादाता के हस्ताक्षर

घोषणा

1. निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर ठेका संचालन व बारदाना उठा लिया जाना आरम्भ कर दिया जावेगा। बारदाना उठाना प्रारम्भ करने के प्रथम दो सप्ताह में अर्थात् स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह में संयंत्र पर उपलब्ध समस्त बारदाना उठा लिया जावेगा। तत्पश्चात् बारदाना उठाने की गति इस तरह से रखी जावेगी कि पन्द्रह दिन से अधिक का बारदाना कभी एकत्रित न हो। मैं सहमत हूँ कि यह अहम शर्त है और इसकी पालना सुनिश्चित करूंगा।
2. मैं घोषणा करता हूँ कि निविदा की समस्त शर्तें पढ एवं समझ ली गई है तथा उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जिसके प्रतीक स्वरूप मैंने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। तथा उनका पालन करते हुए अपनी दरें दे रहा हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का पूर्ण नाम व पता:

पूराना बारदाना विक्रय हेतु निविदा एवं संविदा नियम एवं शर्तें

01. दरें निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में भेजी जानी चाहिए तथा लिफाफे पर मोटे अक्षरों में पुरानें बारदानें की निविदा मय खोलनें की तिथि लिखा होना चाहिए।
02. दरों की ईकाईयों में किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और दरे अंको के साथ शब्दों में भी अवष्य लिखी जानी चाहिये।
03. निविदा उन फर्मों, व्यापारियों द्वारा ही दी जानी चाहिये
 - (i) जो पुराने बारदानें का व्यवसाय कर रहें हैं।
 - (ii) बिक्री कर विभाग में यथोचित पंजीकृत हैं व जिनके पास वैध आरएसटी/सीएसटी/टिन नम्बर है।(यह नम्बर न केवल निविदा प्रपत्र में यथास्थान भरा जाना है, वरन निविदाकर्ता के लैटरहेड पर भी मुद्रित होना चाहिए)
04. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके आरभूत किसी को न तो किसी अन्ये एजेन्सी को सौंप सकेगा और ना ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
05. बारदाना "जहाँ है, जैसा है" उसी स्थिति में बिना छंटनी किये उठाना होगा।
06. बारदाना जिसके दो परत व चार कोने हो बोरी की श्रेणी में आवेगी, जिस बारदानें में 25 किलो गेहूँ/चावल/मक्की से ज्यादा वनज भरा जा सके, वह बारदाना भी बोरी की श्रेणी में आयेगा।
07. बोरियों की दरें प्रति बोरी के हिसाब से दी जावेगी।
08. निविदा स्याही से भरी जानी चाहिये। पेंसिल से या अन्यथा भरी गई निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा में कोई परिवर्तन तथा परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये। कोई उपरी लेखन(ओवरराईटिंग)नहीं किया जाना चाहिये। शुद्धियाँ कोई हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये तथा उस पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
09. निविदाकार निविदा और करार की शर्तों और प्रतिबन्धों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करेगा।
10. प्रबन्ध संचालक महोदय, राजफैड, जयपुर को अधिकार होगा कि वे अन्य सरकारी, सहकारी उपक्रमों के पक्ष में भी दरें स्वीकार कर सकते हैं।
11. निविदायें निर्धारित प्रपत्र पर सहकारी पशुआहार फैक्ट्री की शर्तों के अनुसार देनी होगी तथा निविदा के साथ अमानत राशि रु 50000/-, अर्के (रु पचास हजार,) सहकारी पशुआहार फैक्ट्री के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना होगा, बिना अमानत राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. पुरानी बोरियों के लिए अनुमोदित निविदादाता को सहकारी पशुआहार फैक्ट्री में रूप्ये 1,00,000/- सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे, जिसमें उसके द्वारा दी गई अमानत राशि समायोजित कर ली जावेगी। अर्थात अमानत राशि भी सिक्योरिटी

डिपोजिट में परिवर्तित हो जावेगी। सिक्योरिटी जमा नही कराने पर पुरानी बोरियों , के अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश नही देते हुए उसकी पूर्व जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

13. यदि आवश्यक समझा गया तो दरें आपसी वार्ता ' नगोसियेशन' द्वारा भी तय की जा सकती है।

(6)

14. निविदा में प्राप्त दरें वर्ष 2017-2018 के लिए मान्य होगी तथा निविदाकार को एक वर्ष के लिए अनुबन्ध कराना होगा। मासिक आधार पर उपलब्ध बारदाने की सूचना महाप्रबन्धक संयंत्र द्वारा प्रत्येक माह की लगभग 7 तारीख तक अनुमोदित (Approved) क्रेता को दे दी जावेगी तथा इस आधार पर सूचित किये जाने वाले बारदानों के मूल्य की राशि संयंत्र में जमा करा दी जाकर बारदाना, निविदा प्रपत्र में बिन्दु संख्या - 6 में दर्शायेनुसार प्रत्येक माह की 30 तारीख तक संयंत्र से ले लेना होगा। उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा संयंत्र में जमा करानी होगी। उपरोक्त सूचना के अतिरिक्त अनुमोदित (Approved) फर्म का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उपलब्ध बारदानों की सूचना संयंत्र से प्राप्त कर राशि जमा करा देगा एवं निर्धारित अवधि में बारदाना उठा देगा।
15. बिन्दु संख्या - 14 व निविदा प्रपत्र की बिन्दु संख्या- 6 में दर्शाई गई अवधि अर्थात् बारदाना उठाने की मासिक अवधि ही निर्धारित अवधि में बारदाना न उठाये जाने की स्थिति में महाप्रबन्धक, संयंत्र को अधिकारी होगा कि निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रचलित बाजार भाव से बारदाना विक्रय कर दे और विक्रय से संबंधित संयंत्र को यदि कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व बारदाना नही उठाने वाली अनुमोदित (Approved firm) क्रेता का होगा।
16. यदि अनुमोदित (Approved) निविदादाता लगातार उपलब्ध बारदाना उठाने में असमर्थ रहता है तो धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध भी रद्द किया जा सकता है।
17. बोरियों की संख्या उत्पादन में काम आने वाले कच्चे माल के काम में लिये जाने पर निर्भर करेगी, जिसकी सूचना प्रत्येक माह शर्त संख्या - 14 में उल्लेख अनुसार दी जावेगी।
18. निविदा की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय, राजफैड को होगा।
19. अनुमोदित (Approved) निविदादाता की सिक्योरिटी डिपोजिट अनुबन्ध अवधि एक वर्ष तक जमा रहेगी। अनुबन्ध संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि जब्त की जा सकती है। उक्त सिक्योरिटी राशि सहकारी पशुआहार फ़ैक्ट्री में जमा करानी होगी तथा इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
20. पूरा ठेका अवधि में यदि बोरी की कोई मात्रा अनुमोदित ठेकेदार को उपलब्धता न होने के कारण संयंत्र से आफ़र नही की जाती है तो ऐसी दशा में ठेकेदार किसी प्रकार के हर्जाने/खर्चा प्राप्त करने का न तो हकदार होगा और न ही ठेका अवधि से पूर्व उसकी धरोहर राशि उसे वापस की जा सकेगी।
21. इस कार्यालय से कार्य आदेश/ठेका अनुमोदन ओदष जारी होने के उपरान्त अनुमोदित निविदादाता/सहकारी पशुआहार फ़ैक्ट्री के बीच अलग से कोई अनुबन्ध सम्पादित नही किया जावेगा बल्कि निविदादाता द्वारा सहकारी पशुआहार फ़ैक्ट्री

- कार्यालय में दिये गये निविदा देते समय हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र को ही न्यायाधिक दृष्टि से विधिवत सम्पादित हुए अनुबन्ध के रूप में मान लिया जायेगा।
22. बारदानें का विक्रय मूल्य एक्स फैक्ट्री दर्शाया जाना चाहिये तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय एवं अन्य प्रकार के कर उसमें सम्मिलित नहीं माने जावेंगे जिन्हे निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।
 23. बारदानें को उठानें व परिवहन करने का व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।
 24. सहकारी पशुआहार फैक्ट्री से बारदाना क्रय की दरें केवल दिये गये प्रोफार्मा निविदा प्रपत्र में ही देनी होगी।
 25. निविदा प्रस्ताव में निविदादाता द्वारा अपनी और से जोड़ी/दी गई किसी भी प्रकार की कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
 26. आर्ब्रीट्रेशन:— अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाने की स्थिति में उसे आर्ब्रीट्रेशन को निर्णय हेतु रैफर किया जावेगा। प्रबन्ध संचालक महोदय, राजफैड अथवा उनके द्वारा मनोनित अधिकारी सोल आर्ब्रीट्रैटर होगा जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 27. किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायालय का क्षेत्राधिकार सहकारी पशुआहार फैक्ट्री, झोटवाडा, जयपुर होगा।

(7)

28. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने अथवा अधिकतम निविदा के अतिरिक्त किसी अन्य निविदा को स्वीकृत करने का अधिकारी प्रबन्ध संचालक महोदय, राजफैड, जयपुर के पास सुरक्षित है।
29. निविदा में प्रस्तुत दर यह स्वतः मानकर अनुमोदित की जावेगी कि अनुमोदित (Ipproved) क्रेता ने जिस बारदानें की दर दी है जिसकी किस्म की उसे पूर्ण जानकारी है। अनुमोदनोपरान्त पार्टी को बारदानें की क्वालिटी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।
30. संयंत्र के गोदाम या खुले में रखे बारदानें को अनुमोदित (Ipproved) क्रेता को सम्भलवानें के उपरान्त बारिष, दीमक आदि से सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी स्वमं की होगी।
31. केवल अधिकृत व्यक्ति को ही संयंत्र में बारदाने के बण्डल प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश का अधिकार होगा।
32. अनुमोदित फर्म जो कि बारदाना उठानें में किन्ही भी कारणों से असफल रहती है और वह राजफैड की अन्य यूनिट में किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए भी अनुमोदित है तो बारदाना उठाने में असफल होने की स्थिति में राजफैड के अन्य किसी भी दूसरे रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत किसी भी मद में सहकारी पशुआहार फैक्ट्री/ईकाई द्वारा देय राषि/धरोहर राषि/अमानत राषि / में से क्षतिपूर्ति की भरपाई अनुमोदित फर्म को बिना सूचित किये भी जा सकती है।
33. उक्त अनुबन्ध, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के अनुसार संचालित होगा।

प्रकाषित निविदा की समस्त शर्तें स्वतः ही इसमें सम्मिलित मानी जावेगी।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ व समझ ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है।

हस्ताक्षर, निविदादाता

फर्म का नाम

फर्म का पता

मोबाईल नं.

